The House then adjourned at nineteen minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at thirty minutes past twelve of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation arising out of the misuse of funds provided by the Central Government under National Rural Employment Guarantee Programme

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): Now, the hon. Minister to reply to the Short Duration Discussion on the situation arising out of the misuse of funds provided by the Central Government under the National Rural Employment Guarantee Programme, raised by Shri V. Narayanasamy.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष, महोदय, पहले मैं अपने सांसदों के बारे में ...(**व्यवधान**)...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, we want to raise the issue that the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Kerala ...(*Interruptions*)...

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): Sir, the Government is not...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Only what the Minister says will go on record. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh):*

DR. V. MAITREYAN:*

SHRI SHAHID SIDDIQUI:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Only what the Minister says will go on record. Nothing else. ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: Therefore, Sir, we are walking our ...(*Interruptions*)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: हम वाक आउट कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

†[**شری شاہد صدیقی** : ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں ..مداخلت..]

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस महान सदन में, इस उच्च सदन में आपने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना कार्यक्रम के संबंध में इस चर्चा की इज़ाज़त दी. ..(**व्यवधान**).. आपने इस विषय पर बहस चलाने की इज़ाज़त दीख इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ...(**व्यवधान**).. मैं माननीय सदस्य श्री नारायणसामी जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा को यहां उठाया। इसके अतिरिक्त माननीय श्री अजय मारू, श्री बृजभुषण तिवारी, श्रीमती वृंदा कारत, डा॰ के॰ मलयसामी, श्री मंगनी लाल मंडल, श्रीमती एन॰पी॰ दुर्गा ...(**व्यवधान**).. डा॰ एम॰एस॰ गिल, श्री नंद किशोर यादव,कुमारी निर्मला देशपांडे, श्री एकनाथ के॰ ठाकुर, श्री तिरुची शिवा, डा॰ राधाकांत नायक, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री राजनीति प्रसाद, कुमारी अनुसुइया उसके और माननीय पंचायती राज मंत्री, श्री मणि शंकर अय्यर– इन सब लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस उच्च सदन में हुई बहस में रुचि ली और उत्साह दिखाया। गांवों में जो करोड़ों लोग बसते हैं, कामगार हैं, काम

*Not recorded.

†[Transliteration in Urdu Script.]

करने वाले हैं भूमिहीन हैं, गरीब आदमी हैं, जो काम के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, जब इस उच्च सदन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बहस हो रही है, तो कितने ही गरीब आदमी उत्साहित होंगे कि हमारे सवाल पर उच्च सदन में बहस हो रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना कार्यक्रम लागू हुआ, कानून बनाते समय दोनों पक्षों के लोगों ने, दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इसे समर्थन दिया और हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया, जिससे यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना कार्यक्रम लागू हुआ। शुरू के दिनों में ...(**व्यवधान**).

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): मंत्री जी, आप इतने विद्वान हैं, थोड़ा आहिस्ता से बोलिए, ताकि हमकों भी समझ में आ जाए। आप जब जोर-जोर से बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता है और interpreter भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप थोड़ा आराम से बोलिए। अब हल्ला-गुल्ला खत्म हो गया है, आप आराम से बोलिए।

श्री राशिद अल्वी (आंध्र प्रदेश): अब ये बताएंगे कि माननीय मंत्री जी कैसे बोलेंगे? यह तो बड़ी गलत बात है ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अहलुवालिया जी तो हमारे समर्थक हैं। जब यह काननू पास हो रहा था, तो माननीय सदस्यों ने जरूर उत्साह दिखया कि हमारे जिले में लागू हो, हमारे जिले में लागू हो, लेकिन शुरू में जहां आदिवासी और अनुसूचित जातियों का बाहुल्य था, शुरू में उन 200 जिलो में यह कार्यक्रम लागू हुआ। लेकिन उसी समय कानून में लिखा गया कि पांच वर्षों के अंदर देश के सभी जिलों में लागू होगा, लेकिन यूपीए के 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' में सबसे पहले ऊपर लिखा गया था कि 'रोजगार गारंटी कानून' लागू करेंगे, उसके कार्यान्वयन की तरफ दूसरे वर्ष में अर्थात दूसरे चरण में 130 जिलों में और अब तीसरे चरण में सरकार ने फैसला लिया है कि देश के सभी जिलों में, सभी हिस्सों में इसे हम लागू करने जा रहे हैं और लागू कर रहे हैं। महोदय, इसके अनुभव से भी लाभ हुआ है कि कैसे इसको लागू करें और इसमें कहां-कहां सुधार की जरूरत है। जब माननीय सदस्यों ने अपना उत्साह दिखाया, अपनी रूचि दिखाई, उच्च सदन में 'रोजगार गारंटी कानून' पर बहस हो तो गांव के करोड़ों लोगों का हित होने से अब कोई रोक नहीं सकता। पुराने जमाने से अपना हिन्दुस्तान गरीबी से त्रस्त है। कवि विद्यापति ने कहा, ''कखन हरब दुख मोर, हो भोला नाथ, कखन हरब दुख मोर, दुख हीं जनम भेल, दुख ही पिया ओर, सुख सपनेहु न भेल, हे भोला नाथ, कखन हरब दुख मोर।'' इसी तरह, कवि गोपाल सिंह नेपाली ने कहा, ''दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की, प्रार्थना बनी रही, श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं।'' महोदय, कवियों के स्वर से क्या स्पष्ट होता है, ''गरीबी है, गैर-बराबरी है, गांव में पीड़ा है, संकट है, सारी शहरी सुविधाएं उन्हें नहीं है'', उसी को देने के लिए हमारा 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' है, जिसकी यूएनओ में भी सराहना की गई कि जो हिन्दुस्तान का 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' है, उसी से गरीबी हटेगी, गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाने की ओर एक मजबूत कदम 'रोजगार गारंटी कानून' है, गरीबी क्यों है, इसलिए कि देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी भी खत्म होगी, इसलिए मशहूर अर्थशास्त्री श्री अर्जुन सेनगुप्त की रिपोर्ट को लोग उद्धरित करते हैं, अर्थशास्त्री लोगों ने बताया है कि इतनी खराब हालत है कि प्रति दिन एक डॉलर से कम में कितने करोड़ लोग अपना जीवन-बसर कर रहे हैं, लेकिन उन अर्थशास्त्रियों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि यह भी बताएं कि आज जो बेकारी, गरीबी और बेरोजगारी, poverty and unemployment, हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक बना हुआ है, इसको हम कैसे मिटा सकते है, कैसे जल्दी से खत्म किया जा सकता है? इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि 2020 तक हिन्दुस्तान को अगली पंक्ति के देशों में जाना है तो 2015 तक जो 'मिलेनियम डेवलपमेंट' गोल है, वहां तक गरीबी, बेरोजगारी से हिन्दुस्तान को मुक्त कराना होगा। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के दौरान यह सभी कार्यक्रम लागू है। यह 'रेज इम्प्लायमेंट प्रोग्राम' हिन्दुस्तान में कोई नया लागू नहीं हुआ है, 30-35 वर्षों से कभी 'Food for work' के नाम से, कभी 'NREP' के नाम से, कभी 'RELGP' के नाम से, कभी 'जवाहर रोजगार योजना' के नाम से, कभी 'Employment Assurance Scheme' के नाम से, इसी प्रकार विभिन्न नामों से यह चला, लेकिन जब 'रोजगार गारंटी कानून' लागू हुआ, तब से दुनिया की नजर इस कानून पर लगी हुई है, तमाम अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, ज्ञानी, ध्यानी, वैज्ञानिक, सभी लोगों का ध्यान इस पर गया और दुनिया के लोग नजर लगाए हुए हैं कि कैसा अद्भूत कानून है, जिसके अंतर्गत गांव में गरीब आदमी को सौ दिन के रोजगार की गारंटी है।

महोदय, हम दो वर्षों में कहां तक गए हैं, माननीय सदन को, माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी देने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में 02 फरवरी, 2006 में यह योजना देश के अनंतपुर जिला, जो श्री नीलम संजीवा रेड्डी, पूर्व राष्ट्रपति जी का जिला है, से शुरू हुआ। वहां बड़ा सूखा है, देश में सबसे कम वर्षा वहां होती है, वहां से इसकी शुरूआत हुई। 2006-07 में क्या उपलब्धियां हुई? महोदय, 2006-07 में करीब दो करोड़ दस लाख परिवार को रोजगार मिला और 90.5 करोड़ मानव दिवस (Man Days) सृजित हुए। पहले के 'Food for Work' भी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके अंतर्गत देश भर में 83 करोड़ मानव दिवस से अधिक का सृजन नहीं हुआ था। लेकिन इस रोजगार गारंटी कानून के चलते केवल देश के तिहाई हिस्सों में, दो सौ जिलों में 90 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए, मतलब देश भर में जितना होता था, उससे अधिक हुआ केवल दो सौ जिलों में, मतलब पहले जितना रोजगार मिलता था, तीन गुना से अधिक रोज़गार में बढ़ोतरी हुई।

महोदय, आज भी हमारा बजट आउटले 11,300 करोड़ का था, एक्सपेंडिचर 8,823 करोड़ हुआ, टोटल काम लिए गए 8 लाख 35 हजार, पूरे हुए 3 लाख 87 हजार, काम प्रगति में है 4 लाख 48 हजार। कौन-कौन से काम लिए गए? काम लिए गये वाटर कंज़र्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। दूरदृष्टि वाले लोग, विद्वान लोग बताते हैं कि दुनिया में पानी का संकट आने वाला है, उसका इलाज रोज़गार गारंटी कानून में है। वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन सभी के बिना वाटर कंज़र्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इसके बिना कोई उपाय नहीं है पानी की कमी से मुकाबला करने का, वाटर कंज़र्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। 2.67 लाख योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ, 32.5 फीसदी वाटर कंज़र्वेशन एंड हार्वेस्टिंग हुआ, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, उसका करीब 7000 यानी 7.23 प्रतिशत, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी-81 हजार योजनाएं, 9.68, माइक्रो इरिगेशन वर्क्स-0.28 लाख, ड्राई प्रूफिंग-76 हजार, 9 प्रतिशत, फलड कंट्रोल एंड प्रोटैक्शन-18 हजार, 2.14, रूरल कनेक्टिविटी-1 लाख 80 हजार, 21 फीसदी, लैंड डेवलपमेंट-गरीब आदिवासी जिनकी अपनी जमीन ऊबड़-खाबड़ है, उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए 10.68 फीसदी हुआ। Any other activity—चार फीसदी करीब 34 हजार योजनाएं, इस प्रकार हम देखते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर काम हुआ है, जिससे लोग यह नहीं कहते कि जो मूल उद्देश्य इसका था-गरीबों को रोजगार देना, डिस्ट्रेस पलापन रोकना, फूड सिक्योरिटी के लिए गांवों के गरीबों को काम देना, भुखमरी न हो, इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए इस कानून को लागू करना, साथ ही permanent asset, स्थायी सम्पत्ति का सृजन करना, जिससे आने वाले समय में पानी की कमी, drought वगैरह से मुकाबला किया जा सके। इसीलिए इस योजना का कार्यान्वयन जो हुआ, उसमें क्या काम हुआ? काम क्या मिला? एक-तिहाई महिलाओं की अनिवार्यता की गई थी, लेकिन 40 फीसदी महिलाओं को काम मिला। 38 फीसदी अनुसूचित जनजाति के लोगों को काम मिला, 36 फीसदी अनुसूचित जाति के लोगों को काम मिला। इसलिए उसका भी हम मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूरी सफलता की ओर यह योजना जा रही है। प्रारंभ में कुछ teething troubles, शुरूआत में जो कठिनाइयां होती हैं, उन कमियों की बात जरूर है, लेकिन इसका माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि impact study कराइए। महोदय, करीब-करीब 30 इंडिपेंडेंट स्टडीज़ कराई गई हैं। प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसका अध्ययन कराया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई॰आई॰एम॰), बंगलौर, जी॰बी॰ पंत इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्राम विकास ट्रस्ट, सैंटर ऑफ बजट एंड गवर्नेंस, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंडियन स्कूल ऑफ वीमेन्स स्टडीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन्स इम्पावरमेंट, इन सभी से हमने अध्ययन कराया है। तीस मशहूर इंस्टीट्यूट्स से, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन्स द्वारा अध्ययन हुआ है। यह ठीक बात है कि यह गांव और गरीब की बात है। जो पोलिटिकल बातें हैं, वे मीडिया में छाई रहती हैं, लेकिन गांव और गरीब को जगह नहीं दी जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब गांव से सवाल उठेगा, गांवों से चर्चाएं चलेंगी, तो काम बोलेगा और मीडिया को भी उसके अनुकूल होना पड़ेगा। उसने कहा है, good impact on steady distress migration, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकने में यह सफल हुआ है। रिपोर्ट है-ग्राउंड वाटर रीचार्ज-डूंगरपुर, राजस्थान जैसा drought वाला इलाका, जहां चापाकल बेकार हो गए थे, स्टेट ट्यूबवेल बेकार हो गए थे, वे काम करने लगे। मैंने स्वयं देखा है। नदी में छः जगह अवनीकट बना, लिफ्ट इरीगेशन से सिंचाई हुई, ग्राउंड वाटर भी ऊपर आ गया। मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, इसी प्रकार कर्नाटक में भी ऊपर आ रहा है। जहां-जहां सफलतापूर्वक काम हुआ है, ड्राउट प्रोन इलाके में ग्राउंड वाटर ऊपर आया है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। सभी स्टडीज़ को मैं माननीय सदस्यों के बीच प्रचलित और प्रचारित करूंगा। Production works taken up; high employment of women; high awareness of wage rates, वेज रेट में, वामपंथी मित्र यहां बैठे हुए हैं, त्रिपुरा में एक नम्बर का काम हुआ है। लेफ्ट के लोगों ने और

वामपंथी भाइयों ने शुरू से ही इस कानून को पास कराने और लागू कराने के लिए बहुत जोर लगाया। शुरू से उनका सिद्धांत है कि वेज बढ़े और गरीबों को मजदूरी मिले। उन्होंने इस संबंध में बहुत से आंदोलन किए, बहुत मेहनत की। सारे आंदोलनों का प्रतिफल यहां है। जिस समय से हमने इसे लागू किया, तब से अब तक अपने आप वेज में वृद्धि, बारगेनिंग केपेसिटी ऑफ दी लेबर में अपने आप मजबूती आ रही है, भाव में वृद्धि हो रही है। यह सभी रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे। किसी ने यहां 60 रुपए का जिक्र किया, उसमें यह था कि तय होगा तो 60 रुपए से कम नहीं होगा। राजस्थान में 73 रुपए है। इसी तरह से सभी राज्यों में बढ़ोतरी हुई है। जिस समय हमने लागू किया था, नागालैंड में 25 रुपए मजदूरी थी, नॉर्थ ईस्ट में 40 रुपए थी। अगर हम केरल की तरफ जाते हैं तो 125 रुपए, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न जगह भिन्न-भिन्न मजदूरी थी-कहीं 58, कहीं 55, कहीं 60, कहीं 63, कहीं 75 तो कहीं 80 रुपए थी। अपने आप मिनिमम वेजिज़ में वृद्धि हो रही है। हमने अभी तय नहीं किया है, कानून में है कि स्टेट का मिनिमम वेजिज़ एक्ट 1948, सेक्शन 3 का जो मिनिमम वेजिज़ है, वहीं लागू रहेगा। जरूरत होने पर केन्द्र सरकार अपनी मजदूरी की घोषणा करेगी जो 60 रुपए से कम नहीं होगी। यह प्रावधान है, लेकिन अपने आप राज्य सरकारों में, जहां पांच साल, सात साल, दस साल से कोई रिवीज़न नहीं होता था, अब वहां हर साल रिवीज़न हो रहा है। इसलिए यह क्रांतिकारी कानून है, रेवोल्यूशनरी कानून है, गरीबोन्मुखी है, ग्रामोन्मुखी है और यह कानून स्वयं को साबित कर रहा है। यह सभी रिपोर्ट्स में है। मैं माननीय सदस्यों को इनके बारे में बताऊंगा। सभी माननीय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक इस कानून की प्रशंसा की है, इसका जो लाभ हो रहा है, इसकी भी प्रशंसा की है, लेकिन सभी दलों के माननीय सदस्यों ने, जो अनुभव रखते हैं, जानकारी रखते हैं, सरजमीन का अध्ययन करते हैं, रिपोर्ट और तथ्यात्मक बातें कहकर चिंताएं व्यक्त की हैं कि अन्य योजनाओं की तरह कहीं इसका भी बुरा हाल न हो। बहस के समय, जिस समय दोनों सदनों में सभी पक्षों के लोगों ने इसका समर्थन किया था कि यह एक अच्छा कानून है, इसको अच्छे तरीके से लागू होना चाहिए और इसमें निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें क्या-क्या प्रबंध किया गया है, क्या-क्या मेजरमेंट्स अख्तियार किए गए हैं? उसमें हमने प्रबंध किया है कि पांच सूत्री कार्यक्रम को...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): मंत्री जी, आपको और कितना समय चाहिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): समय थोड़ा कम है इसलिए संक्षेप में बोलिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, हम इसको संक्षिप्त कर देते हैं लेकिन सब माननीय सदस्यों को उनके सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। हम सफलता की ओर जा रहे हैं।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सब सेटीस्फाइड हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, Measures for Strengthening Programme Delivery में क्या-क्या हुआ है? हमने स्वयं सीएजी को कहा है, सभी जगह जहां-जहां यह लागू है, नमूने के तौर पर हरेक जिले में सीएजी जांच करके रिपोर्ट दे। चार-पांच दिन में जांच करके रिपोर्ट आएगी। The States have been directed that social audit of each and every work of NREGA should be completed. Muster Roll verification is being done by the districts. National Level Monitors (NLMs) have made 219 visits in all Phase One districts and have visited 112 districts of Phase Two. Area Officers of the Ministry also visit various districts to oversee the progress of the Act. हम नजर रखे हुए हैं। महोदय, किसी भी योजना के संबंध में जानकारी नम्बर-1, भागीदारी नम्बर-2, समझदारी नम्बर-3, ईमानदारी नम्बर-4, इन चार सूत्रों को लागू किया जाए। अब उसके बाद चंद जानकारी, भागीदारी पीपुल्स पार्टिसिपेशन, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी-पारदर्शिता, यह जो माननीय सदस्यगण सवाल उठा रहे हैं, हमको खुशी है कि पारदर्शिता का जो मेज़र हमने अख्त्यार किया है, उसमें माननीय सदस्यों ने जानकारी के आधार पर जो गड़बड़ियां बताई हैं, वे बातें सरफेस पर आ गईं और सब लोग जान रहे हैं। जब सब लोग जान जाएंगे कि गड़बड़ियां कहां हैं तो उन गड़बड़ियों को निर्मूल करने में आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी,- A comprehensive Web-based MIS has been implemented. महोदय, माननीय सदस्यों को तथा श्री नारायणसामी जी को इतनी जानकारी, इतना गंभीर अध्ययन, इतनी मुस्तैदी लिखा-पढ़ी, हमको दर्जनों पत्रों से जानकारी मिलती है कि यहां यह हो रहा है। इससे हमको कितनी सहायता मिलती है। हम माननीय सदस्यों को भी अवगत कराते रहते हैं। हर सत्र में हम एक स्टेटस रिपोर्ट लिखते हैं तथा माननीय सदस्यों को लिखते हैं कि सरजमीं पर क्या हो रहा है, हमको

इसकी जानकारी दी जाए। क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक योजना की सफलता में संदेह होगा। उड़ीसा में जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग में हुआ, उसी को देख करके एन०जी०ओ० ने रिपोर्ट बनाई। इसकी जांच की गई तथा वेब साइट पर सभी कुछ मौजूद है। हम चाहते हैं कि एम०आई०एस० सिस्टम में हर एक ब्लौक, हर एक पंचायत में आ जाए-ई-गवर्नेंस। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ई-गवर्नेंस टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल किया जाए। महोदय, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी बनी। माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में उसमें सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। साल में 2400 मीटिंग होनी चाहिए, 725 मीटिंग तक हम पहुंचे हैं। आधे से ज्यादा करीब 1200 से ज्यादा मीटिंग होगी। तब जाकर के उसकी सफलता मिलेगी। महोदय, हम अपने स्तर पर माहवारी रिव्यू करते हैं। हर राज्य में मैं कम से कम 10 गांवों में तो मैं स्वयं जाता हूं। अपने अधिकारियों को भी मैंने कहा है तथा उनको 10 गांवों में जरूर जाना है और देखना है। महोदय, यह योजना सफलता की ओर जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है, हमने सभी राज्यों से कहा है कि इसमें खाते से पेमेंट होगा। जो गरीब व्यक्ति यहां काम करेगा उसकी हाजरी बनेगी तब पेमेंट उसके नाम से बैंक में जमा हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में सब जगह बैंक नहीं हैं। वहां सोलह हजार की आबादी पर एक बैंक की शाखा है। नौर्थ ईस्ट में एक सौ पंद्रह प्रखण्ड हैं, जहां अन्य बैंक हैं। अन्य कई पिछड़े राज्य हैं, जहां बैंक नहीं हैं। हमने वित्त मंत्री जी को लिखा है कि सभी जगह बैंकों की व्यवस्था की जाए। महोदय, गरीबी उन्मूलन में बैंकों का सहयोग आवश्यक है, चाहे वेज एम्प्लोयमेंट हो, चाहे प्रोडक्टिव सैल्फ एम्प्लोयमेंट हो, इसके बिना गरीबी नहीं हटेगी। महोदय, जब बैंकों से ऑपरेशन होने लगेगा, आंध्र प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ तथा झारखण्ड के बारे में श्री मारू जी चर्चा कर रहे थे, झारखण्ड के दो जिलों में चतरा में हण्ड्रेड परसेंट भुगतान खाता से हो रहा है। वहां पंचायती राज नहीं है। नारायणसामी जी ने अनियमितताओं के संबंध में बताया था। राज्यों में भी कमियां हैं। राज्यों में दो-तीन प्रकार की कमियां हैं। कमी नम्बर-1, कोई भी योजना को चाहते हैं अपने नाम से चलाने के लिए। लेकिन इसको हमने परसू किया और सभी राज्य के लोग मान गए। फिर राज्य सरकारों में कमियां हैं तथा वे केन्द्र सरकार के पैसे को दूसरे का पैसा समझते हैं। उनको समझना चाहिए कि वह अपना पैसा है, जनता का पैसा है। तो ये सब कमियां हैं। बहस में कुछ राजनीतिकरण भी हो जाता है। उससे हमको कमजोरी आती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने का सवाल नारायणसामी जी ने उठाया। उड़ीसा में एन०जी०ओ० की रिपोर्ट पर हमने सी०ए०जी० को जांच करने के लिए कहा, राज्य में एन०जी०ओ० को जांच करने के लिए कहा, हमने एन०आई०आर०डी० को भी जांच करने के लिए कहा...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी०जे० कुरियन): बाकी आप चिट्ठी लिखकर बतला दें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जो छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट आई है उस पर वहां के अधिकारी मुअत्तल किए गए तथा कार्यवाही हो रही है। जो कहीं मशीन का इस्तेमाल हो रहा है।...(**व्यवधान**)... मॉनिटरिंग कमेटी का तथा माननीय सदस्यों का जो भी सुझाव होगा, मॉनिटरिंग कराने, जन भागीदारी कराने, ट्रांसपेरेंसी लाने में जो भी माननीय सदस्य सुझाव देंगे, उनका हम स्वागत करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उसको हम लागू करेंगे, उस पर कार्यवाही करेंगे, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश की शिकायतों का सवाल उठाया, वहां पर 25-26 शिकायतें आई हैं, हम सबकी जांच करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और विभिन्न जगहों का सदस्यों ने सवाल उठाया था, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। श्री अजय मारु जी ने झारखंड का सवाल उठाया कि बहुत पीड़ा है, संकट है, पंचायती राज नहीं है, चुनाव नहीं हुआ, लचर व्यवस्था वहां की गयी...(**व्यवधान**)...

श्री एस०एस० अहलुवालिया: वहां सरकार है क्या?...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: वहां सरकार नहीं है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी०जे० कुरियन): आप बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उन्होंने ठीक नहीं कहा, लेकिन हम मुस्तैद हैं, हमने स्वयं गांव का निरीक्षण किया, इस बात को आपने स्वीकार किया है। आप सभी के सहयोग से हम वहां भी सुधार करेंगे। श्री बृजभूषण तिवारी जी ने कहा कि वोट के चलते सब फेल हो गया, ऐसा नहीं है। इसको पांच वर्षों के अंदर लागू करना था, हमने मजबूत इच्छा-शक्ति के चलते ही इसको तीन साल में देशभर में फैला दिया है। कानून में इजाजत दी गयी थी कि इसमें सांसदों का

232RS—15R

1.00 P.M.

प्रतिनिधित्व हो, सब कमेटी सांसदों की बने, डिस्ट्रिक विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी में सांसद हैं, स्टेट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी में सांसद हैं। हम साल में एक बार बैठक बुलाकर सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में अवगत कराते हैं। हम लिखा-पढ़ी करते हैं।

महोदय श्रीमती वृंदा कारत जी नहीं हैं, लेफ्ट की इसमें बड़ी रुचि है। वे काम देने के बारे में कहते हैं। कुमारी निर्मला देशपांडे और डा० कपिला वात्स्यायन, इन सभी सदस्यों का कहना था कि काम बढ़ाने का प्रावधान है। जो मोटा-मोटा काम हमने कहा है, बाकी काम राज्य सरकारों के साथ कंसल्टेशन करके जोड़े जा सकते हैं, इसमें नये काम भी जोड़े जा सकते हैं। तमिलनाडु में महिला मजदूर के बारे में कहा कि कम मजदूरी दी जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून में महिला और पुरूष में कोई भेदभाव नहीं है। एकदम बराबर मजदूरी मिलती है, काम के आधार पर मजदूरी मिलती है। डा० के० मलयसामी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। श्री तिरुची शिवा जी हैं या नहीं हैं, उन्होंने उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया था। महोदय, सीधे राजनैतिक आधार पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना, इस मशहूर योजना को नुकसान करेगा। सर, जमीन की बात है, ''तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।'' महोदय, जो स्वयं देखा हो, उसी के बारे में कहा जाये। लोग बोलते हैं, टोटली मिसयूज, गलत है, siphoned off, गलत है, लूट, गलत है, जहां-तहां, कतिपय गड़बड़ियां हो सकती हैं। दो लाख 38 हजार पंचायतें हैं, कहीं भी त्रुटियां होंगी, कमजोरियां होंगी, जानकारी का अभाव, अवेयरनेस का अभाव, जागरूकता की कमी, ये सब कमियां हैं। आपका सहयोग होगा तो इन कमियों से भी हम बरी हो जायेंगे। डायवर्शन एंड मिसयूज आफ फंड नहीं है। माननीय सदस्य इस स्कीम को फेल्योर बोल देते हैं, यह फेल्योर भी नहीं है। इससे दो करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, जब यह देशभर में लागू होगी, तो पांच-छह करोड़ परिवारों को रोजगार मिलेगा, हरेक बीपीएल कवर्ड होंगे, जबकि एपीएल, बीपीएल में सभी जगह भेद नहीं है।

श्री मंगनी लाल मंडल जी ने बिहार का सवाल उठाया, श्री राजनीति प्रसाद जी ने भी यही सवाल उठाया। महोदय, यह डिपेंड करता है स्टेट बाई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट, पंचायत बाई पंचायत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में एक-एक के घर में कलेक्टर ने जॉब कार्ड भेज दिए, लेकिन बिहार में बीपीएल को भी, गरीबी रेखा के नीचे वाले को भी जॉब कार्ड नहीं बांट सकें। ये सब कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनका सही कहना है कि जॉब कार्ड नहीं बना है, कहीं-कहीं कमियां हैं, इन पर भी हमारा ध्यान है उसमें कार्ड योजना बनाने का प्रावधान है, कार्ड योजना की मॉनिटरिंग का प्रावधान है। श्री ललित चतुर्वेदी जी ने 100 दिन से 200 दिन काम देने की बात कही है। यह स्कीम जब देशभर में लागू हो जायेगी, तो उस पर भी हम विचार करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति को रोजगार देने का विचार है, अभी तो परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं, उस पर भी हम विचार करने वाले हैं। महोदय, यह स्कीम जब देशभर में लागू हो जायेगी, तब इसको करेंगे। जितने मजदूर काम कर रहे हैं, उन सबका लाइफ इंश्योरेंस, हैल्थ इंश्योरेंस करने पर भी हम विचार करने वाले हैं। श्री एकनाथ के० ठाकुर नहीं हैं, उन्होंने कहा कि किसानों के खेत में दीजिए, उनका ridiculous नहीं है, हंसी-बला नहीं है, उस पर भी हम आगे जब देशभर में इसको लागू कर देंगे, तब विचार करेंगे। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने 60:40 रेश्यो का सवाल उठाया, जिला है यूनिट, 60 फीसदी मजदूरी पर, 40 फीसदी मेटिरियल पर। हमको रिपोर्ट है अभी 66 फीसदी मजदूरी पर और उससे कम मेटिरियल पर खर्चा होगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन): मंत्री जी, सुनिए, सुनिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री नन्द किशोर यादव जी ने चिंता की है कि कृषि में मजदूरों की कमी हो जाती है। यह कमी कभी नहीं होगी क्योंकि lean period में सौ दिन ही लागू करने का प्रावधान है। यह बात ठीक है कि यह राज्यों पर निर्भर हैं हम इसको अपराधी और माफिया के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसमें विधान है, यह कहीं नहीं होगा। कुमारी निर्मला देशपांडे जी ने स्किल्ड लेबर को काम देने के बारे में कहा है। इसमें उसका भी प्रावधान है। भारत सरकार ने अलग से जनता को सूचना का अधिकार दिया है, लेकिन इस कानून में सूचना का अधिकार तो पहले से ही शामिल है। यहां पर सोश्योलोजी के बारे में कहा गया है, तो हमने कहा है कि अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण होगा। डा० राधाकांत नायक जी ने कहा है कि फंड भेजने में डिले होती है। इस बारे में हमारा कहना है कि हर जिले में हमारा फंड ज्यादा है और एक-एक जिले में दस लाख, बीस लाख केवल सूद हुआ है। इस प्रकार राज्य सरकारों को सूद मिला है। आज राज्य सरकारें यह सूद खा रही हैं, इतना पैसा हम मुहैया कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम अपने

यहां से पूरा पैसा रिलीज कर रहे हैं। महोदय, तिरुची शिवा ने शायद तमिलनाडु में सर-जमीन का अध्ययन करके रिपोर्ट दी थी। इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है। श्री एकनाथ के० ठाकुर जी ने कहा कि वाटर स्केयरसिटी होगी। देशभर में यही योजना लागू हो जाएगी तो देश भर में वाटर स्केयरसिटी नहीं रहेगी और हम जल की कमी पर काबू पा लेंगे। इस प्रकार यह देश के लिए एक काया-कल्प योजना है। महोदय, पांच वर्षों के बाद गरीबी, खत्म होने की तरफ जाएगी। महोदय, खेती और किसानों पर जोर देने के लिए कहा गया है। श्री राजनीति प्रसाद जी ने मशीन के इस्तेमाल के संबंध में कहा। इसमें ठेकेदारी मशीन वर्जित है। जो ऐसा करेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। आगे कहा गया कि मजदूरों को कम काम मिलता है। हमारा यह कहना कि मजदूरों को इसमें मजदूरी मिल रही है, शुरू में कठिनाई हुई थी क्योंकि इसमें कंप्यूजन था, माइन्ड सेट ऐसा था, लेकिन अब हमने अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है, पीआरआई इंस्टिट्यूशन्स को ट्रेनिंग दी है। इसमें सभी की भागीदारी और जानकारी के लिए वर्कशाप हम पूरे देश में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कुमारी अनुसुइया उइके जी ने सुझाव दिया है और कहा है कि इसे दो सौ किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों को पुरस्कार दें। वे जितना खर्चा करेंगे, हम उतना देंगे और खर्च घटने नहीं देंगे, लेकिन राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यह पैसा जनता का है और उसका दुरुपयोग न हो। उसको रोकने का प्रबंध करना चाहिए। हमने कहा है दो फीसदी सचिवालय स्तर के पदाधिकारी जांच करेंगे, 10 फीसदी ज़िला स्तर के पदाधिकारी योजनाओं की जांच करेंगे और सेंट-प्रसेंट गांव के पदाधिकारी जांच करेंगे। महोदय, माननीय मणि शंकर अय्यर जी ने अंत में यह कहा था ...(**व्यवधान**)... जो लोग यहां सवाल उठाते हैं-राजीव गांधी जी ने कहा था केवल 15 प्रतिशत ही पहुंचता है, उसका प्रसंग दूसरा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का कोई प्रतिवेदन था। इसलिए महोदय, गरीबी हटाने का हम मन्सूबा रखते हैं, 2015 तक, सेल्फ एम्पलॉएमेंट हर एक परिवार में ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन): मंत्री जी, अभी आप कन्कलूड कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सेल्फ एम्पलॉएमेंट के द्वारा हम गरीबी हटा देंगे। हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार तक स्वरोजगार जरूर दिया जाए और इस प्रकार से गरीबी हट सकती है, हिन्दुस्तान को दुनिया की कोई शक्ति पीछे नहीं ला सकती, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मुझे आशा है कि सदन और माननीय सदस्यों का जैसा समर्थन प्राप्त है, वैसा समर्थन आगे भी रहेगा। ...(**व्यवधान**)... महोदय, गरीब के लिए महात्मा गांधी जी का litmust test, अंतिम आदमी के लिए जब तक कुछ नहीं करते हो, समझो कुछ नहीं कर रहे हो। ...(**समय की घंटी**). 'गरीबों की सुनोगे, वह तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वह दस लाख देगा।' बीजेपी के लोग यह याद रखें कि इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है, उत्पात कराने और भगवा लगाने, आग लगाने का काम ...(**व्यवधान**)... इसलिए गरीब का ख्याल करो। महोदय, अंत में सदन का, सदस्यों का, माननीय विद्वानों का जो सुझाव, समर्थन, आरक्षण, निदेशन उत्साह, प्रोत्साहन मिल रहा है। ...(**समय की घंटी**). 'तुम अगर साथ देने का वादा करो, तो मैं यू ही मस्त नगमें लुटाता रहूं।' ...(**व्यवधान**)... महोदय, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन मुकाबला कर रहा हूं। मैं निरुत्साहित नहीं हूं, उत्साहित हूं कि–

'सूरमा नहीं विचलित होते'
क्षण एक नहीं धीरज खोते,
कांटों में राह बनाते हैं,
कष्टों को गले लगाते हैं।
थपेड़े पे थपेड़े खा रहा हूं,
फिर भी किश्ती सलामत जा रही है।'

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों का आभार और शत-शत बार धन्यवाद करते हुए यह विश्वास करता हूं कि जिस तरह से यू०पी०ए० के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जा रहे हैं, ग्यारहवीं योजना से बारहवीं योजना तक गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, गांव में सर्व सुविधाएं मिलेंगी और 2020 तक हिंदुस्तान भी दुनिया के अगली पंक्ति के देशों में चला जाएगा। रोजगार गारंटी जिंदाबाद, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि जिंदाबाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we take up the Special Mentions. ...*(Interruptions)*... All Special Mentions are to be laid on the Table of the House.

SHRI VIJAY J. DARDA (Maharashtra): Sir, I want to seek a clarification from the hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will allow you after the Special Mentions. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, the hon. Minister is ready to reply to my question. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, clarifications. Now, you take your seat. ...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS

Demand for setting up of the K.D. MALVIYA OIL MUSEUM at Khanapara, Assam.

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Sir, it is gratifying to mention here that about a few years ago, the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas was kind enough to approve the proposal of setting up K.D. Malviya Oil Museum at Khanapara in Guwahati city, Assam. The entire official process of earmarking fund and site for location of the museum and even foundation for the same was laid. Some years ago, tenders were invited, and, I believe, it is at the sage of awarding work for execution of the proposal. As far as I know, the validity of the decision of having the said museum will be over by 31st January, 2008. Such apathetic approach to this proposal has drawn the attention of the people of Assam with great resentment.

May I, therefore, draw the attention of the hon. Minister, Petroleum to impress upon the Department to timely execute the proposal of setting up the museum? Thank you.

Ban on Export of Meat and Cow Slaughter

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): महोदय, ज्ञात हुआ है कि सरकार ने जनवरी, 2008 तक नेशनल मीट बोर्ड के गठन का मन बनाया है और कई कतलखाने खोलने का विचार कर रही है। यह काम मांस निर्यात से हो रही तथा बढ़ते रहने वाली आय की आशा से हो रहा है। यह देखा गया है कि बड़े व स्वस्थ पशुओं का मांस ही निर्यात के योग्य होता है। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, पर प्रति व्यक्ति उपलब्धता में विश्व औसत से नीचे है। गत वर्षों में आर्थिक बदहाली के कारण किसानों की आत्म हत्या निरंतर बढ़ी है। इसमें यह तथ्य उभर कर आया है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु रखने वाले आत्म हत्या के लिए इसलिए बाध्य नहीं हुए, क्योंकि इनसे उन्हें अतिरिक्त आय होती है। संविधान भी गौ-वंश रक्षा की अपेक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में सम्पूर्ण गौ-वंश रक्षा को उचित ठहराया है।

महोदय, उपरोक्त के प्रकाश में मेरा सरकार से आग्रह है कि डेयरी, फल, सब्जी व अन्य उत्पादों से आय बढ़ाए, मांस निर्यात पर रोक लगाए व गौ-वंशों की रक्षा करने के कदम उठाए। धन्यवाद।

Concern over Plight of Transgenders in the Country

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I would like to draw the attention of the House to the pathetic plight of the unprivileged and uncared for lot of transgenders in this country. They undergo a lot of mental stress and trials and tribulations, for the society is yet to see eye-to-eye with their problems. This has resulted in some of them trying to indulge in activities which shake the very roots of peaceful life of democracy. The society treats them with a forlorn attitude and as third rate citizens due to their biological problems for which they are in no way responsible.